

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

अशोक जैन महात्मा
हाई स्कूल रोड़, मैन बाजार,
रानी स्टेशन (306115)

बनाम

रेस्पोंडेंट :-
लोक सूचना अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रानी

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 52 / 2020

G.C.M.S. No. -2020/00191

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
18/9/20	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), रानी ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेंट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नहीं एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांत को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युत्तर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 09/10/20 को पेश हो।</p>	<p>1008-1009 22/9/20</p>
9/10/20	<p>पत्रावली भाज पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी के जवाब प्राप्त नहीं, कुनः पत्र जारी हो। पत्रावली दिनांक 23/10/20 को पेश हो।</p>	<p>1121 14/10/20</p>
23/10/20	<p>जिला कलेक्टर, पाली पत्रावली भाज पेश हुई। उपखण्ड अधिकारी, रानी ने जवाब पत्रांक 1157 दिनांक 24/10/20 के अन्तर्गत बताया कि अपीलांत द्वारा वांछित सूचना नगर पालिका रानी के संबंधित होने से RTI Act 2005 के धारा 6(3) में मन्गीत कर दी गई है। आदेशावली भाज पेश, नगरपालिका रानी ने जवाब पत्रांक 3634 दि. 21/9/20 के अन्तर्गत अपीलांत को सूचना उपलब्ध करा दी है। अतः अहकाम अपील में इस स्तर पर कोई कार्यवाही इस न्यायालय में अपेक्षित नहीं होने से अपील अपीलांत स्वार्थिन की जाती है। पत्रावली अहकाम केसल होकर इस न्यायालय के अन्तर्गत ले कम हो।</p>	<p>1121 14/10/20</p>

जिला कलेक्टर, पाली

